भारत के राजपत्र, भाग-IV (साप्ताहिक) में धर्म परिवर्तन के संबंध में व्यक्तियों द्वारा विज्ञापन हेतु दिशानिर्देश

(भारत के राजपत्र भाग-IV में किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन के संबंध में विज्ञापन के प्रकाशन हेतु सूचना)

भारत के राजपत्र भाग-IV में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित है।

(i) अभिभावक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक वचन पत्र।

(ii) समाचार पत्र की नवीनतम मूलप्रति

(iii) आवेदक तथा दो साक्षियों द्वारा सत्यापित विधिवत रूप से टंकण/टाइप निर्धारित प्रोफार्मा की दो प्रतियाँ

(iv) साक्षी/गवाह के हिस्से को छोड़कर एम एस वर्ड में टंकित/टाइप मुद्रित सामग्री युक्त सी. डी एवं हस्ताक्षर के स्थान पर अपना पुराना नाम टाइप करें।

(v) स्वयं सत्यापित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा आई. डी. प्रूफ की फोटोप्रतिलिपि (स्वयं सत्यापित)

(vi) आवेदक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित एक प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गई हो कि हार्ड कॉपी तथा साफ्ट कॉपी की विषय सूची समरूप/समान है।

(vii) अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र।

(viii) संबंधित संस्थान से धर्म-परिवर्तन प्रमाणपत्र की आवश्यकता।

भारत के राजपत्र भाग-IV में धर्म परिवर्तन की सूचना प्रकाशित कराने हेतु आवेदक को विज्ञापन के प्रकाशन से पहले निम्नलिखित औपचारिकताओं का पालन करना अनिवार्य है ।

1. संबंधित व्यक्ति को किसी स्थानीय प्रमुख समाचार पत्र में धर्म परिवर्तन की सूचना देना होगा और अन्य दस्तावेजों के साथ इसकी मूल प्रति इस विभाग को जमा करना होगा ।
2. आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक शपथपत्र जिसमें अपना पुराना और नया नाम, पिता/पति का नाम, आवासीय पता और धर्म परिवर्तन की तारीख का पूरा विवरण दर्शाया गया हो और यह घोषित किया गया हो कि उसमें निहित तथ्य उसकी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास क्षमता के अनुसार सत्य और सही हैं।
3. निर्धारित नमूने में निर्धारित मुद्रण सामग्री को एक अलग सादे कागज पर टाइप करके सभी प्रकार से पूर्ण रूप से पूरा किया जाना चाहिए और व्यक्ति द्वारा अपने पुराने नाम से, साक्षी/गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित, डुप्लिकेट (दो प्रतियां) में सॉफ्ट प्रतिलिपि (सीडी एमएस वर्ड)। प्रोफार्मा कम्प्यूटर टाइप को जमा किया जाना चाहिए।
4. यदि आवेदक व्यक्तिगत रूप से आता है, तो उसे अपने साथ स्वयं की दो स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार की तस्वीरें लानी होंगी। यदि आवेदक डाक द्वारा आवेदन भेजता है, तो उसे अपेक्षित सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन भेजना होगा, दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और फोटो पहचान पत्र की प्रति के साथ एक पासपोर्ट आकार की फोटो शामिल हो।
5. नाम परिवर्तन के प्रकाशन का मुद्रण शुल्क दिनांक 01-04-2016 से रु. 1700/-है। मुख्य लेखा कार्यालय,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 01/10/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या G-20018/Pr.Ao/UD/A/Cs/NTRP/2018-19/1489-1504 के अनुसरण से विभाग द्वारा जारी दिनांक 04/10/2018 के आदेश संख्या Cash/NTRP/2018-19 के अनुसार दिनांक 01/10/2018 से यह राशि

एनटीआरपी (नान-टैक्स रिसीप्ट पोर्टल यानि **www.bharatkosh.gov.in**) के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। प्रवासी भारतीय के लिए दिनांक 01-04-2016 से भारत के राजपत्र में नाम परिवर्तन के विज्ञापन का मूल्य रु.5100/- है। सरकार के आदेश के अनुसार दिनांक 30-09-2015 के भारत के राजपत्र सं. 602 असाधारण भाग-II, खंड-3 उप खंड-(i) के तहत दिनांक 01-10-2015 से कागजी प्रतियों का मुद्रण तथा बिक्री पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है तथा यह ई-प्रकाशन के रूप में उपलब्ध है। आवेदनकर्ता से अनुरोध है कि वह अपना राजपत्र की प्रति इस विभाग के वैबसाइट www.egazette.nic.in से निम्न चरणों के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण : राजपत्र खोज करने के लिए
चरण 1 : राजपत्र खोजें (www.egazette.nic.in)
चरण 2 : श्रेणी खोजें – साप्ताहिक राजपत्र
चरण 3 : भाग एवं खंड में – भाग-IV का चयन करें।
चरण 4 : पहले कैलेंडर (शनिवार की तिथि) से दूसरे कैलेंडर में (शनिवार की तिथि)
चरण 5 : अपेक्षित पी डी एफ फ़ाईल डाउनलोड करें।
चरण 6 : अपना (पुराना/नया) नाम खोजने के लिए कंट्रोल + एफ कुंजी को दबाएँ।
चरण 7 : अपनी प्रति बनाने के लिए पूरा राजपत्र (Gazeette) डाउनलोड करें। इसे विभाग द्वारा सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है।

ध्यान दें:-

वेबसाइट द्वारा डाउनलोड की गई राजपत्र की प्रतियों में की गई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के लिए प्रकाशन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

6. अग्रेषण पत्र के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज, मुद्रण शुल्क तथा फोटो पहचान पत्र प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 को व्यक्तिगत/डाक द्वारा जमा किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

7. विभाग में जमा किए दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में न तो मूल और न ही इसकी फोटो प्रति वापस किए जाएंगे।

8. विभाग में इस विषय पर सार्वजनिक निपटान समय प्रत्येक कार्य दिवस पूर्वाह्न 10:00 बजे से 1: 00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक रहेगा।

9. आई डी प्रूफ के साथ सभी आवेदन स्वयं सत्यापित होनी चाहिए। आवेदन सिर्फ व्यक्तिगत/डाक/संदेशवाहक द्वारा जमा किया जाना चाहिए। एजेन्ट, एडवोकेट इत्यादि के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

10. सभी प्रकार से सही ढंग से भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात निवेदन को संबन्धित भारत सरकार के मुद्रणालय में अधिसूचित करने के लिए भेज दिया जाएगा।

11. यह विभाग संबन्धित मुद्रणालय में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए ज़िम्मेवार नहीं होगा।

13. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामग्री को अस्वीकार कर सकता है।

प्रकाशन नियंत्रक
प्रकाशन विभाग

<u>संपर्क/लिंक-III, एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन/बदलने के लिए।</u>

धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र केवल मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा या चर्च से होना चाहिए। किसी भी समाज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रस्ट, वक्फ बोर्ड आदि से जारी धर्मांतरण प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्मांतरण प्रमाण पत्र में पंजीकरण संख्या, हस्ताक्षर और मुहर, धर्मांतरण तिथि के साथ पुराना नाम, नया नाम पिता या पति के साथ होना चाहिए।इस संबंध में आवेदक द्वारा उल्लिखित पते के अनुसार समाचार पत्र और धर्मांतरण प्रमाणपत्र संबंधित राज्य का ही होना चाहिए।